प्रपत्र 13

एकीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य परियोजना के प्रभावी अभ्यासो का विस्तार 2008, छत्तीसगढ़

पर्यवेक्षक द्वारा आंगन बाड़ी केन्द्र भ्रमण प्रक्रिया, पाक्षिक सेक्टर बैठक प्रक्रिया

सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा व्यवस्थित आंगन बाड़ी केन्द्र निरीक्षण की प्रक्रिया व मार्गदर्शिका

अधिक प्रभावशाली पाक्षिक बैठक संचालित करने हेतु प्रक्रिया व पर्यवेक्षक हेतु मार्गदर्शिका

care केयर इण्डिया, छत्तीसगढ

USAID

Printed With Support from FANTA

शीर्षक : पर्यवेक्षकों का आंगनबाड़ी केन्द्रों में सकेन्द्रित भ्रमण

उद्देश्य : आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं को सशक्त बनाना, सहयोगी पर्यवेक्षण एवं आवश्यकतानुसार क्षमता वर्धन करना जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सकें।

लक्ष्य : पर्यवेक्षक के प्रभार में आने वाले सभी आंगनबाड़ी केन्द्र

उत्तरदायित्व : पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी

प्रक्रिया	क्या करना है	नियंत्रण	उत्तरदायित्व	संदर्भ	अभिलेख
1)	आई.सी.डी.एस. मानदण्डों को ध्यान में रखते हुये पर्यवेक्षकों के सकेन्द्रित आंगनबाड़ी भ्रमण हेतु, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आ.बा. केन्द्रों की सूची की समीक्षा करें व पर्यवेक्षकों को निर्देशित करें कि दिये गये समय के अंदर आ.बा. भ्रमण पूरा करें।	1) जहां और जैसी आवश्यकता के अनुसार आ.बा. की संख्या में परिवर्तन संभव 2) पर्यवेक्षकों की संख्या व उपलब्धता	बाल विकास परियोजना अधिकारी	पर्यवेक्षकों के सकेन्द्रित आ.बा. भ्रमण हेतु आई.सी.डी.एस. मानदण्ड एक वि.ख. में आ.बा. केन्द्रों तथा पर्यवेक्षकों की सूची	बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्देशिका

२)	पर्यवेक्षक अपने सेक्टर के आ.वा. केन्दों की अपडेट सूची पारा/मोहल्ला की जानकारी तथा किये जाने वाले भ्रमण की संख्या बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त करें।	एक स्वीकृत तथा अपडेट की हुई सूची	बाल विकास परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक		एक स्वीकृत तथा अपडेट की हुई सूची
3)	निरीक्षण प्रपत्रों तथा विभिन्न स्त्रोतों (आ.वा. कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि आदि) से प्राप्त जानकारी के आधार पर पर्यवेक्षक आ.वा. भ्रमण की स्थिति की वार्षिक समीक्षा निम्नानुसार करें। 1) ऐसे आ.वा. कार्यकर्ता जिन्हें समुदाय को प्रेरित करने एवं पंचायत प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पर्यवेक्षक की सहायता की आवश्यकता है। 2) ऐसे केन्द्र जहां पंचायत प्रतिनिधियों या समुदाय को आगंनवाड़ी केन्द्र के कामकाज से शिकायत है। 3) आ. वा. केन्द्र की गतिविधियों के समीक्षा।	बाल विकास परियोजना अधिकारी के निर्देशानुसार सेक्टर की सभी आ.वा. केन्द्रों को सम्मिलित किया जायें बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ बैठक से एक दिन पहले तैयार करें	पर्यवेक्षक	आ.वा. भ्रमण की वार्षिक स्थिति आंगनवाडी केन्द्र मासिक समीक्षा प्रपत्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्देशिका	दौरा कार्यक्रम (अग्रिम)

	4) परियोजना अधिकारी द्वारा किसी केन्द्र के निरिक्षण के निर्देश। इनके आधार पर आगामी माह में भ्रमण किये जाने वाले केन्द्र का चयन किया जायेगा।				
4)	पर्यवेक्षक दौरा कार्यक्रम की अग्रिम स्वीकृति हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में प्रस्तुत करें	प्रस्तुत करने के तीन दिनों के अंदर स्वीकृति	बाल विकास परियोजना अधिकारी	आ.वा. भ्रमण की वार्षिक स्थिति, आंगनवाडी केन्द्र मासिक समीक्षा प्रपत्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी, निर्देशिका	स्वीकृत दौरा कार्यक्रम (अग्रिम)
5)	आंगनवाडी में पहुँचने पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था (गोलाकार बैठक, दरी आदि) आ.वा. केन्द्र की साफ सफाई, बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें यदि आवश्यक हो तो उसे सुधारने के लिये कार्यकर्ता को तुरन्त सलाह दें।	आ.वा. की साफ सफाई आई.सी.डी.एस. मानदण्डों के हिसाब से बैठक	पर्यवेक्षक		पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

6)	शाला पूर्व शिक्षा के क्रियाकलापों का निरीक्षण करें – शैक्षणिक व दृश्य माध्यमों का उपयोग, बच्चों की भागीदारी, घरेलु/बाहरी क्रियाकलाप और यदि आवश्यक हो तो कार्यकर्ता को सलाह दें कि कैसे वे बच्चों के बीच आपसी संवाद तथा उनके भागीदारी को बेहतर बना सकते हैं	बच्चों की प्रभावी भागीदारी	पर्यवेक्षक	शैक्षणिक व दृश्य माध्यम	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
7)	पर्यवेक्षक भ्रमण के दौरान केन्द्र में शालापूर्व बच्चों की उपस्थिति की गणना करें तथा उसे सेवा प्राप्त करने के लिए रजिस्टर में दर्ज शाला पूर्व बच्चों की संख्या से मिलान करें।	शाला पूर्व बच्चों की 100 प्रतिशत उपस्थिति	पर्यवेक्षक	उपस्थिति रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

8)	यदि बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कुल संख्या से कम हो तो पिछले दिन की उपस्थिति से पोषण आहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या का मिलान करें. किसी प्रकार के अंतर होने पर कारणों की पूछताछ करें तथा आ.वा. कार्यकर्ता को सलाह दें कि वे सदैव वास्तविक उपस्थिति ही दर्ज करें।	शाला पूर्व बच्चों की 100 प्रतिशत उपस्थिति	पर्यवेक्षक	उपस्थिति रजिस्टर	उपस्थिति रजिस्टर
9)	यदि कारण हितग्राही से संबंधित है तो पर्यवेक्षक या कार्यकर्त्ता गृह भ्रमण के दौरान उस परिवार की पहचान कर परामर्श देवें साथ ही उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करें।	अनियमित उपस्थिति	पर्यवेक्षक	उपस्थिति रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

10)	पर्यवेक्षक पता लगायें कि क्या शारीरिक व मानसिक विकलांग बच्चों की आ.बा. केन्द्रों द्वारा पहचान की गयी है, और वे वांछनीय सेवायें केन्द्र से प्राप्त कर रहें हैं।	शारीरिक /मानसिक विकलांग बच्चें	पर्यवेक्षक	सर्वे रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
11)	पर्यवेक्षक शाला पूर्व बच्चों से बातचित कर पता लगावें कि क्या वे आ.बा. केन्द्र में मिलने वाले आहार से खुश है और उन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार का भोजन मिलता है पर्यवेक्षक चेकलिस्ट रिकार्ड में दर्ज करें।	निर्धारित भोजन सामग्री का वितरण	पर्यवेक्षक		पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

12)	पर्यवेक्षक निकाले गये राशन की मात्रा की जांच करें। निकाले गये खाद्य आपूर्ति का वजन तौलकर देखें कि वह निर्धारित मानदण्डों के आधार पर है कि नहीं।	आई.सी.डी.एस. द्वारा निर्धारित राशन की मात्रा	पर्यवेक्षक	आई.सी.डी.एस. द्वारा निर्धारित राशन की मात्रा	केन्द्र खाद्यान्न रजिस्टर (फार्म-1)
13)	पर्यवेक्षक रिकार्डों की जांच कर सत्यापित करें कि आ.वा. केन्द्र में सभी हितग्राही दर्ज है तथा पूरक पोषण, स्वास्थ्य और शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित आ.वा. की सभी सेवायें प्राप्त कर रहे हैं।	सभी पात्र हितग्राही आ.वा. केन्द्र से संबंधित उपयुक्त सेवायें प्राप्त करें	पर्यवेक्षक	सर्वे रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर तथा टीकाकरण रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

14)	पर्यवेक्षक जांच करें कि स्वास्थ्य व पोषण दिवस का नियमित आयोजन किसी निश्चित दिन में हो रहा है कि नहीं	आ.वा. केन्द्र के लिये माह में एक बार किसी निश्चित दिन में	पर्यवेक्षक	केन्द्र खाद्यान्न रजिस्टर (फार्म-1) टीकाकरण रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
15)	पर्यवेक्षक जांच करें कि क्या गृह भ्रमण हेतु पात्र हितग्राहियों की पहचान की गई है क्या गृह-भ्रमण करते हुए उन्हें परामर्श दिया जा रहा है।	गर्भवती महिलायें धात्री मातायें, 2 वर्ष तक के बच्चें	पर्यवेक्षक		पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

16)	पर्यवेक्षक खाद्यान्न, दवाओं एवंअन्य आपूर्ति तथा उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करें जैसे – वजन, मशीन, बर्तन, वृद्धि चार्ट, आई.एफ.ए., रजिस्टर आदि और किसी प्रकार के अंतर होने पर कार्यकर्ता /स्व सहायता समूह के सदस्यों से कारणों की पूछताछ करें तथा उसे पर्यवेक्षक चेकलिस्ट में दर्ज करें।	स्टॉक मिलान करें	पर्यवेक्षक	खाद्यान रजिस्टर दवाई पंजी, स्टॉक रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

17)	पर्यवेक्षक मालूम करें कि क्या स्टॉक की स्थिति और खाद्यान्न की आपूर्ती नियमित रूप से बनी रहेगी और इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने होंगे और यदि आवश्यक हो तो स्वसहायता समूह और बाल विकास परियोजना अधिकारी से इस संबंध में बात करें।	बिना किसी रूकावट के पूरक पोषण आहार कम से कम एक माह के खाद्यान की उपलब्धता	पर्यवेक्षक	खाद्यान्न रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

18)	पर्यवेक्षक भंडारगृह की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो आ.वा. कार्यकर्ता को उचित भंडारण हेतु साफ सफाई और स्वच्छता बनायें रखने की सलाह दें	स्वच्छ और सुरक्षित भण्डारण	पर्यवेक्षक		पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
19)	आं.वा. कार्यकर्ता से हुई बातचीत के आधार पर पर्यवेक्षक विभिन्न रजिस्टरों की समीक्षा करें तथा ऐसे हितग्राहियों की पहचान करें जो आंगनवाडी में और पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते, जो व्यवहार परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है एवं उनको गृह भेंट देवें	कम से कम दो गृह भेंट	पर्यवेक्षक	खाद्यान रजिस्टर उपस्थिति रजिस्टर, गृह भेंट पंजी पर्यवेक्षक चेकलिस्ट	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

20)	पर्यवेक्षक कार्यकर्ता के साथ चिन्हांकित घरों में भ्रमण करें जहां पर कार्यकर्ता पर्यवेक्षक स्वयं ही हितग्राही और उसके परिवार के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य व पोषण परामर्श दें।	उचित सलाह, सही संदेश, सही व्यक्ति, सूचना शिक्षा तथा संचार माध्यमों का उचित व संपूर्ण संदेश	पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
	पर्यवेक्षक गांव का भ्रमण करे, कुछ परिवारों के साथ बातचीत कर यह मालूम करें कि क्या वे आई.सी.डी.एस. द्वारा लक्षित किसी ऐसे हितग्राही को जानते हैं जो आं. फ. केन्द्र में नहीं आते और न ही केन्द्र की सेवायें प्राप्त करते हैं।	आंगनवाडी से दूर, पहुचविहीन	पर्यवेक्षक	सामाजिक मानचित्र	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

22) 21)	आई.सी.डी.एस. द्वारा लक्षित ऐसे हितग्राहियों के नाम सर्वे रजिस्टर में दर्ज है कि नहीं चेक करें। यदि नाम शामिल नहीं है तो परिवार का नाम सर्वे रजिस्टर में दर्ज करें तथा आं0 वा0 कार्यकर्ता को सलाह दें कि वे उस परिवार का गृह भ्रमण कर अन्य जानकारियां प्राप्त करें तथा सर्वे पंजी में दर्ज करें।	छूटी हुई आबादी	पर्यवेक्षक	सामाजिक मानचित्र, सर्वे पंजी	सर्वे पंजी पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
23)	यदि पर्यवेक्षक आं0 वा0 केन्द्र में स्वास्थ्य व पोषण दिवस के दिन भ्रमण कर रही है, तो वे यह पता लगायें कि क्या स्वास्थ्य व पोषण दिवस की गतिविधियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो रही है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य व पोषण दिवस को सुचारू ढंग से सम्पन्न करायें।	स्वास्थ्य व पोषण दिवस के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करें।	पर्यवेक्षक	पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस प्रक्रिया	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

24)	उपर्युक्त बातों के आधार पर पर्यवेक्षक यह मालूम करें कि किन किन क्षेत्रों में आं0 बा0 कार्यकर्ता को क्षमता निर्माण की आवश्यकता है जिसे अगली सेक्टर बैठक में मजबूत करना है।	प्रत्येक केन्द्र जहां भ्रमण किया गया	पर्यवेक्षक		पर्यवेक्षक
25)	आं0 बा0 भ्रमण से प्राप्त जानकारी के आधार पर, पर्यवेक्षक समुदाय के प्रमुख सदस्यों जैसे पंचायत प्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों, समुदायिक संगठनों आदि से बातचीत करें तथा उन्हें बतायें कि	प्रत्येक केन्द्र जहां भ्रमण किया गया	पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट	पर्यवेक्षक चेकलिस्ट

	केन्द्र से मिलने वाली सेवाओं तथा उनसे लाभान्वितों की वर्तमान स्थिति क्या है। उन्हें आंगनबाडी की गतिविधियों में समुदाय के अधिकतम सहभागिता हेतु सलाह दें।				
26)	पिछले महीने में किये गये आं0 वा0 भ्रमण के रिपोर्ट की एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रस्तुत करें।	पिछले माह भेंट दी गई प्रत्येक आ.वा. की रिपोर्ट	पर्यवेक्षक		आं0 वा0 केन्द्र चेकलिस्ट

अभिलेख तथा संदर्भ

पर्यवेक्षकों के संकेंद्रित आ.बा. भ्रमण हेतु आई.सी.डी.एस. मानदण्ड
एक वि.ख. में आ.बा. केन्द्रों की सूची
एक वि.ख. में पर्यवेक्षकों की सूची
बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्देशिका
आ.बा. केन्द्र भ्रमण की वार्षिक स्थिति
अग्रिम दौरा कार्यक्रम
पर्यवेक्षक चेकलिस्ट
सर्वे रजिस्टर
उपस्थिति रजिस्टर
आई.सी.डी.एस. द्वारा निर्धारित राशन
खाद्यान्न रजिस्टर (फार्म-1)
टीकाकरण रजिस्टर
दवा पेटी रजिस्टर
संपत्ति स्टॉक रजिस्टर (स्थायी एवअस्थायी स्टॉक रजिस्टर)
स्टॉक रजिस्टर

मुद्रक : छत्तीसगढ़ पैकेजर्स प्रा. लि., भिलाई
मो. 94252-35432